

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय (बरकटिया (खंडाचक्रो))

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 249

दिनांक 08-09-14

चयन पत्र

1. श्रीमती विन्दु देवी पति स्व. राजकुमार प्रताप जो ग्राम बरकटिया
पो० बरकटिया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
बरकटिया के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 143 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30-08-14
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र मूलतः पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति जाई
मु० विन्दु देवी
8-9-14

Kajal
08-09-14
बाल विकास परियोजना प्रशासिका का
बाल विकास परियोजना निदेशालय का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
बरकटिया खंडाचक्रो

बिहार सरकार
समाज कल्याण वि
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय नरकटिया (छोडादाने)

जिला पूर्वांचल

ज्ञाप सं० 237

दिनांक 28-08-14

चयन पत्र

1. श्रीमती विन्दु कुमारी पति प्रभात कुमार जो ग्राम तीनकोठी पो० तीनकोठी की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला तीनकोठी के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 143 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 21-08-14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र भ्रमलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

प्रकृति पाई

सेविका केन्द्रा 44 वेड

Kapal Kumar

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का

नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

नरकटिया छोडादाने

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....छौड़ादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 324

दिनांक 12/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती रिषु कुमारी पति राजीव रंजन राय जो ग्राम घपड़
पो० कुदरकट की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
वार्ड सं० - 11 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 1.4.1. के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 06.11.2013
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषपद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

रिषु कुमारी

रिषु कुमारी

13-11-13

bk
12/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
Onhouradano

For

AKyadav

03-09-14

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय... नरकटिया छौडाहानी
ज्ञाप सं०... 326 (क)

जिला पूर्वी चम्पारण
दिनांक 18/11/2014

चयन पत्र

1. श्रीमती उषा देवी पति शम शम्भू राम जो ग्राम तितकीनी
पो० छौडाहानी की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला ...
तितकीनी के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 11 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 17/11/2014
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सहायिका के पद के लिए
आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित
किया जा सकेगा।
3. सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शुभ प्रति पायी
उषा देवी
सहायिका
नौड 11

Xybas
18/11/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
नरकटिया छौडाहानी

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....हौडादाना.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....299.....

दिनांक 22/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती नुजहत आरा पति मौ. जावेद जो ग्राम खैरवा पो० बोला चमडी की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं० - 09 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 49 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 18/10/2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

प्रति पाई

नुजहत आरा

22-10-13

Blk
22/10/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना प्रदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
Ohhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय... छोड़ादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 311.....

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती शबाना खातुन पति जावेद आलम जो ग्राम पुरुषोत्तमपुर पो० पुरुषोत्तमपुर की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं-10 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 25 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शबाना खातुन

711/2013

bk
07/11/13

(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं CCPO (मुहर के साथ)

Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय चौरादानो

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 310

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती सावित्री देवी पति शिवपूजन साहनी जो ग्राम हिरमणी देवा में
पो० साहिबगंज की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
वाई.सं. - 06 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 20 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30.10.2013
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

सावित्री देवी

7.11.13

Ek
07/11/13
(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं मुहर के साथ)

Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....दौंडादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....298.....

दिनांक 22/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती पुनवी कुमारी पति मदन राम जो ग्राम तिनकौनी पो० तिनकौनी की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं० - 12 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 15 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 17.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एन पीए लक्ष्मी
पुनवी कुमारी

22/10/13

अक
22/10/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना प्रदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
CDPO
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय धौड़ादानौ

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 319

दिनांक 11/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती निशी कुमारी पति सुनील प्रसाद यादव जो ग्राम देसावरवा पो० पुरैनिया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं. - 05 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 138 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 02.11.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

क प्रतीपाई

निशी कुमारी

12-11-2013

क
11/11/13

(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय चौरादा

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 317

दिनांक 11/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती शबनम खातुन पति मुरतुजा आलम जो ग्राम पीपरा
पो० दरपा की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
वार्ड सं० - 06 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 136 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 02.11.2013
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शबनम खातुन

11/11/13

Ek
11/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं GDPO मुहर के साथ)
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011(दखे))

बाल विकास परियोजना कार्यालय छौडादानो

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 318

दिनांक 11/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती रुशभ कुमारी पति सुबोध कुमार जो ग्राम सिहोरवा पो० सिसवनिया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाडी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं०-०४ के आंगनवाडी केन्द्र कोड सहित 137 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 02.11.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाडी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

रुशभ कुमारी

11/11/13

भक्त
गंगा
(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं पद (गृह के साथ)

Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....**छौड़ादानो**.....

जिला **पूर्वी चम्पारण**

ज्ञाप सं० **321**

दिनांक **11/11/13**

चयन पत्र

1. श्रीमती **आरती कुमारी** पति **अजय प्रसाद** जो ग्राम **रकडरी**
पो० **रकडरी** की स्थायी निवासी है, का आंगनवाडी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
वार्ड सं० - 02 के आंगनवाडी केन्द्र कोड सहित **139** के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक **04.11.2013**
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाडी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

आरती कुमारी

11/11/13

Chk
11/11/13
(**भावना कुमारी**)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय चौरादाजी

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 322

दिनांक 11/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती सीमा देवी पति राधेश्याम प्रसाद जो ग्राम मुड़ली पो० दरपा की स्थायी निवासी है का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला आई.सं०-०४ के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 140 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 04.11.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका 2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शुक्र प्रति पायी।

सीमा देवी

12-11-13

Bk
11/11/13
(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं GDPO के साथ)

Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास संयोजन निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय..... नरकटिया टोला
ज्ञाप सं०..... 01/2013/194

जिला - पूर्वी चम्पारण
दिनांक - 18.07.2014

चयन पत्र

1. श्रीमती - गुंजा कुमारी पति शंकर साह जो ग्राम नरकटिया पो० - नरकटिया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला नरकटिया के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 142 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16.07.2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शक प्रति पाई
गुंजा कुमारी
18-7-14

Kojal
18-07-14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय नरकटिया (झाँडा रांगे)

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 215(क)

दिनांक 07-08-14

चयन पत्र

1. श्रीमती ललिता देवी पति गोत्रालाल चौधरी जो ग्राम जयनगर पो० शुआफर की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला जयनगर के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 44 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30-07-14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र मूलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। सहायिका पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

ललिता देवी
07-08-14

07-08-14
बाल विकास परियोजना अधिकांशिकी
नाम एवं हस्ताक्षर (सहायिका के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय नरकटिया (दौंडा राजे)

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 206(क)

दिनांक 31-07-14

चयन पत्र

1. श्रीमती सगीरा खानुम पति इलीन अख्तर जो ग्राम सेमराडिया पो० पकड़िया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला सेमराडिया के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 130 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 22-07-14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका ~~सेविका~~ के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। ~~आपकी स्थिति में पुनः तस्वीर~~ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका ~~सेविका~~ के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

रुक प्रति पाई

सगीरा खानुम

2-8-14

Kojal
31-07-14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय जर्कडिया (खैरपुर) जिला पूर्वी चम्पारण
ज्ञाप सं० 207 दिनांक 31-07-14

चयन पत्र

1. श्रीमती तरनुमा बेरात्र पति नजीबुर रहमान जो ग्राम पकडिया पो० पकडिया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाडी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला पकडिया के आंगनवाडी केन्द्र कोड सहित 119 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 25-07-14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। सहायिका होने की स्थिति में एन.ए.सी. का पत्र के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शुक्र प्रतिपाद

तरनुमा बेरात्र

समेकित सहायिका
३-८-१४

Kojal
31-07-14

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....छौडादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....300.....

दिनांक 22/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती गुड़ी देवी पति अजय कुमार थाकुरजो ग्राम बेला
पो० बेला चमरी की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं०-12 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 13.1 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 18.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रती पायी

गुड़ी देवी

22.10.13

एक
22/10/13
(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम भावना कुमारी (आपके साथ)

Bhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....छौड़ादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 302.....

दिनांक 22/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती उषा कुमारी पति राकेश कुमार जो ग्राम विन्दासनी पो० महुआवा की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं० 10 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 132 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 19.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

रक प्रीत पायी
उषा कुमारी
22/10/13

रक
22/10/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय दौड़ादानी

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 313

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती रीना कुमारी पति सुरेश बोंठा जो ग्राम हिरमणी पो० भरिया वृत्त की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं०-03 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 134 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30/10/2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पाई ।

रीना कुमारी

Blk
07/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
CDPO
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय छौरादाना

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 312

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती कविता कुमारी पति प्रदीप कुमार जो ग्राम हिरमणी पो० भठिया वृत्त की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं०-02 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 133 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पाया
प्रदीप कुमार (पति)
वास्ते कविता कुमारी
चयनित सेविका के रूप में
08/11/13

ok
07/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं CSRO (मुहर के साथ)
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय छोड़ादानी

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 316

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती निशा कुमारी पति जीतेन्द्र कुमार जो ग्राम जीतपुर
पो० जीतपुर की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
आई.सं. - 07 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 135 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 01.11.2013
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

स्व प्रति पायी

Nisha Kumar

07/11/13

Bk
07/11/13

(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मिहर के साथ)

CDPO
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय..... नरकटिया (दौडादानी)

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 241 (क)

दिनांक 04/09/2014

चयन पत्र

1. श्रीमती - रुभा देवी पति - हरि किशोर प्रसाद जो ग्राम मैलवा (दक्षिणी)
पो० दौडादानी की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
मैलवा के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 69 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 28.08.2014
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. सहायिका
आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
सहायिका
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

१। मं० नरकटिया
रंमा कुमारी

Kapal
04-09-14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय नरकटिया (क्षेत्रांत) जिला प्रसा-समस्तीपुर
ज्ञाप सं० २३५ दिनांक २७-०८-१५

चयन पत्र

1. श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा पति धीरज कुमार जो ग्राम दुहे-दुहे पो० नरकटिया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी ~~सेविका~~ ^{सहायिका} के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला दुहे-दुहे के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 117 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक २०-०८-१५ को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन ~~सेविका~~ ^{सहायिका} के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर ~~सेविका~~ ^{सहायिका} के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

नरकटिया
शर्मिष्ठा शर्मा
नरकटिया
कोड - 117

Kajal Kumar
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
बाल विकास परियोजना
नरकटिया

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास संघ, निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय..... नरकटिमा (बिहार)

जिला - सुपौल-चम्पारण

ज्ञाप सं०..... २०१ (६)

दिनांक २५-०७-२०१५

चयन पत्र

1. श्रीमती - माजरीन बेगम पति मोहिबुल्लाह खाँ जो ग्राम परसा पटानपट्टी पो० नरकटिमा की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला परसा पटानपट्टी के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 108 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 19-07-2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध कशयी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शुक प्रति पाई
माजरीन बेगम

२५/७/१५
बाल विकास परियोजना परियोजना के
नरकटिमा (बिहार) के कार्यालय

25-7-2014

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय चौरादातनी

ज्ञाप सं० 323

जिला पूर्वी चम्पारण

दिनांक 11/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती ललिता देवी पति स्व० उमेश राम जो ग्राम जाइहल पो० गुदरकट की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला आई.सं०-०९ के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 124 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक ०६/११/२०१३ को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

श्रीमती ललिता

11/11/13

BK
11/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं CBPO मुहर के साथ)
Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय दौडादानौ

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 320

दिनांक 11/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती किरण देवी पति शंभू प्रसाद जो ग्राम रकसरी पो० दौडादानौ की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं० - 06 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 96 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 04.11.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

किरण कुमारी

11/11/13

भ
11/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
CDPO
Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....दौड़दानौ.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....301.....

दिनांक 22/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती रेणु कुमारी पति नाजोन्द्र राय जो ग्राम कटकेनवा पो० महुआवा की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं०-01 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 80 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 19.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनःचयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पायी

रेणु कुमारी

22.10.13

BR
22/10/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना सहायिका का
नाम एवं हस्ताक्षर (महल के साथ)
Omhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....चौरादा.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....315.....

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती पूजा कुमारी पति कमलेश कुमार जो ग्राम भठिया वृत्त पो० भठिया वृत्त की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं० - 13 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 79 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 01.11.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का सतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शुभ प्रति पाठ
पूजा कुमारी
7-11-13

07/11/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
CDPO
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....दोडादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....314.....

दिनांक 07/11/13

चयन पत्र

1. श्रीमती अनुराधा कुमारी पति श्यामबाबू प्रसाद झा ग्राम मठीया वृत्त पो० मठीया वृत्त की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं. - 13 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 79 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 01.11.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का सतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। संक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

अनुराधा कुमारी

07/11/13

Bk

07/11/13

(भावना कुमारी)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

Chhauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय चौरादा

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 306

दिनांक 25/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती रोशन जहाँ पति अबुलेश जो ग्राम जीतपुर पो० मठिया हत की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड सं० - 09 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 77 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 23.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रती साई

रोशन जहाँ
25/10/13

Bk
25/10/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम चौरादा (महुर के साथ)
Chauradano

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....छौडादानो.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....305.....

दिनांक 25/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती शहजाज बेगम पति मोहम्मद आलम जो ग्राम जीतपुर
पो०.....मठिया वृत्त..... की स्थायी निवासी है का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
वार्ड सं०-09 के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 77 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 23.10.2013
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनःचयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रती पाइ
शहजाज बेगम
25/10/13

अक
25/10/13
(भावना कमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
CDPO
छौडादानो के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय.....छौडादाजी.....

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०.....304.....

दिनांक 25/10/13

चयन पत्र

1. श्रीमती पूजा कुमारी पति सरोज साह जो ग्राम जीतपुर
पो० जीतपुर की स्थायी निवासी है, का आंगनवाडी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वाड सं० - 08 के आंगनवाडी केन्द्र कोड सहित 76 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 23.10.2013 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाडी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

प्रति पायी

पूजा देवी

25/10/13

अक
25/10/13
(भावना कुमारी)
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
उपस्थित एवं हस्ताक्षर (समस्त के साथ)
Chhauradaha

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय - नरकटिया (बैदाहानी)

जिला - मुन्शी चम्पारण

ज्ञाप सं० 266

दिनांक - 23/09/2014

चयन पत्र

1. श्रीमती - निमिला कुमारी पति - संतोष कुमार जो ग्राम - पकड़ीया
पो० - पकड़ीया की स्थायी निवासी है, का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
पकड़ीया के आंगनवाड़ी केन्द्र कोड सहित 145 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक - 18/09/2014
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिए गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा
निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध की गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर
किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता
है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद के लिए आपका
दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा
सकेगा।
3. सेविका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए
इच्छुक रहने संबंधी धोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य
का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पायी
निमिला कुमारी

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)